राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर

क्रमांकः एफ 6/RGKA/महिला प्रतियोगिता 2015–16/ 8556 – 88 दिनांकः 05.12.15

खेल अधिकारी समस्त

....

विषयः– राजीव गांधी खेल अभियान (RGKA) के अन्तर्गत महिला खेलकूद प्रतियोगिताओं का वर्ष 2015–16 के लिए आयोजन बाबत्।

युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त कलेण्डर के अनुसार राजीव गांधी खेल अभियान योजनान्तर्गत महिला खेलों की राष्ट्रीय प्रतियोगिता की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता वर्ग तृतीय दिनांक 20 दिसम्बर, 2015 से 23 दिसम्बर, 2015 तक आयोजित की जा रही है। इसे मध्यनजर रखते हुए राज्य में महिला खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन निम्न प्रकार से किया जाना निश्चित किया गया है।

जिला स्तरीय प्रतियोगितओं का आयोजन	
दिनांक	**स्थल**
दिनांक 11.12.2015 से 13.12.2015 तक प्रतिदिन तीन खेल।	यह प्रतियोगिता जिले के किसी भी स्थान पर जहां इस प्रतियोगिता के लिए पर्याप्त खेल सुविधाऐं हो आयेाजित की जा सकती है।
राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन	
दिनांक	**स्थल**
प्रथम वर्ग – बास्केटबाल, तैराकी एवं जिम्नास्टिक दिनांक 11.01.2016 से 13.01.2016 तक	उदयपुर
द्वितीय वर्ग – हॉकी, हैण्डबॉल एवं लॉन टेनिस दिनांक 07.01.2016 से 09.01.2016 तक	जयपुर
तृतीय वर्ग – वॉलीबाल, कबड्डी एवं खो–खो दिनांक 15.12.2015 से 17.12.2015 तक	जोधपुर

- **जिला स्तरीय प्रतियोगिता :–**

जिला स्तरीय प्रतियोगिता निम्न ~~12~~ 9 खेलों में आयोजित होगी :–

1. बास्केटबाल 2. जिम्नास्टिक 3. हैण्डबाल 4. हॉकी 5.कबड्डी
6. खो–खो 7. तैराकी 8. टेनिस 9. वॉलीबाल

उक्त खेलो में निम्न विवरणानुसार प्रतियोगिता आयोजित होगी –

क्र.सं.	खेल का नाम	आयोजन विवरण
1	बास्केटबाल	Team Championship
2	जिम्नास्टिक	Balancing beam, Vaulting Horse, Uneven bar, Floor Exercise, Individual all round & team Championship
3	हैण्डबाल	Team Championship
4	हॉकी	Team Championship
5	कबड्डी	Team Championship
6	खो–खो	Team Championship
7	तैराकी	Free Style- (100m, 200m, 400m), Butterfly- 100m, Breast stroke- (100m, 200m), Back Stroke- (100m, 200m), Individual Medley- 200m, 4X100m Relay (Medley & Free Style)
8	टेनिस	Single, Double & Team Championship
9	वॉलीबाल	Team Championship

- <u>जिला खेल प्रतियोगिता आयोजन में पालनार्थ मुख्य तथ्य :–</u>

1. प्रतियोगिता का समय प्रतिदिन प्रातः 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक रखा जावे। प्रतिदिन तीन खेलों की प्रतियोगिता कराई जानी है। इसका कलेण्डर बनाये जाकर क्रीडा परिषद को अवगत करावे तथा बनाये गये कार्यक्रम की पालना की जावे। किसी कारण से परिवर्तन की आवश्यकता हो तो भी परिषद को अवगत कराया जावे।

2. प्रतियोगिता में खिलाडियों की उपरी आयु सीमा 31 दिसम्बर 2015 को 25 वर्ष होगी। इसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल का प्रमाण पत्र या सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र (संलग्न Annexure-XII व XIII के प्रारूप में) में से कोई भी प्रमाण पत्र पात्रता प्रपत्र के संलग्न किया जावे। यह ध्यान रखा जावे कि खिलाडी को जारी किये जाने वाले मैरिट/प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रमाण पत्र में जन्म दिनांक का उल्लेख किया जाना है। आयु में किसी प्रकार की कपट न हो, इसका पता लगाने के लिए प्रर्याप्त व्यवस्था की जावे।

3. **उक्त प्रतियोगिताओं के आयोजन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, यथा सांसद, विधायक, प्रधान आदि से आर्थिक एवं अन्य सभी प्रकार का सहयोग लेकर उनकी सहभागिता भी सुनिश्चित करावें।**

4. प्रत्येक खिलाडी का पात्रता फार्म (Annexure- XIV) **अध्यक्ष महोदय** के निर्देशानुसार आवश्यक रूप से भरवाया जावे।

5. सभी प्रतियोगिताओं में संबंधित खेल के राष्ट्रीय फेडरेशन के द्वारा जारी नियमों की अक्षरशः पालना की जावे।

6. जिला खेल आयोजन के स्थान के चयन करते समय खेलों की आधारभूत संरचना, खेल उपकरणों व प्रशिक्षित रैफरीज की उपलब्धता का ध्यान रखा जावे।

7. प्रत्येक खेल आयोजन के लिए 8 टीमों की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे।

8. रैफरीज को 300 रू. प्रति रैफरी अनधिक भुगतान किया जाना है। यह व्यय आयोजन के लिए दिये जा रहे अनुदान से ही किया जाना है। ध्यान रखा जावे कि 6000 रू. से अधिक व्यय इस मद में नहीं किया जावे।

9. प्रतियोगिता नॉक आउट बेस पर क्रमिक (Progression) रूप से की जानी है।

10. आयोजन स्थल पर खिलाडियों व कार्मिकों की सुरक्षा, शांति व्यवस्था तथा खेल वातावरण बनाये रखने की पर्याप्त व्यवस्था की जावे।

- <u>खिलाडियों की चयन प्रक्रिया :–</u>

जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत खेलों में प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों मे से एक ही भाग ले सकते है तथा अन्य टीम स्पर्धा खेल में जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकारी समिति **RGKA** द्वारा गठित चयन समिति द्वारा ही महिला खिलाड़ियों का चयन कर आगे की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए टीम भेजी जायेगी।

- <u>प्रतियोगिता का प्रचार व प्रसार :–</u>

जिला खेल अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे इस प्रतियोगिता का व्यापक प्रचार–प्रसार करें ताकि पर्याप्त महिला खिलाडी भाग लेने हेतु उपलब्ध रहे।

भारत सरकार के निर्देशानुसार जिला स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन में अधिकाधिक खेल प्रेमी लोगों को आमंत्रित किया जावें तथा यह तथ्य प्रमुखता से प्रकाश में लाया जावें और प्रदर्शित किया जावें कि यह कार्यक्रम **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार, राजस्थान सरकार एवं राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद जयपुर** द्वारा आयोजित किया गया है। आयोजन की सूचना स्थानीय जन प्रतिनिधियों, विधायकों एवं सांसद महोदय को भी दी जानी चाहिए।

प्रतियोगिता आयोजन में फोटोग्राफी व विडियोग्राफी अनिवार्य है। विडियोग्राफी की सीडी, एक्शन फोटोग्राफी, समाचार पत्रों की कटिंग उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करने होंगे।

- <u>तकनीकी मार्गदर्शन :–</u>

महिला खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन के लिए भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देशों की प्रति संलग्न की जा रही है। जिला खेल अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इन दिशा–निर्देशों का भली प्रकार अध्ययन कर ले तथा इन्हें अन्तिम मानते हुए खेलों का आयोजन करें। जिन खिलाडियों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन किया जाता है। उनसे भली–भांति सम्पर्क बनाये रखे तथा उनके सम्पर्क सूत्र सहेज कर रखे।

राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता वर्ग (वालीबॉल, कबड्डी एवं खो–खो) दिनांक 20–23 दिसम्बर 2015 तक पटियाला (पंजाब) में आयोजित हो रही है। जोधपुर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से चयनित खिलाड़ी सीधे जयपुर आयेंगे एवं जयपुर से सीधे ही राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु पटियाला (पंजाब) रवाना किये जायेंगे। अतः इन खेलों के खिलाड़ियों के अभिभावकों को इस संबंध में अवश्य सूचित करें।

- <u>वित्तीय प्रबंध :—</u>

जिला स्तरीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन हेतु 20,000/— रूपये प्रति खेल की दर से कुल आयोजित किये गये खेलों के अनुसार अधिकतम 12 खेलों के लिए कुल राशि 2,40,000/— रूपये का अनुदान दिया जावेगा। इस अनुदान का उपयोग निम्नलिखित मदानुसार किया जावेगा :—

• **खिलाड़ियों पर व्यय –** प्रतियोगिता में खिलाडियों को आवास, भोजन, यातायात एवं यात्रा व्यय के लिए मूर्त व्यवस्था करने के स्थान पर इस मद में स्थानीय खिलाडी को 75 रू. तथा गैर–स्थानीय खिलाडी को 150 रू. नकद देय होगा। गैर–स्थानीय खिलाडी को कोई भी एक पहचान पत्र जिससे कि उसकी गैर–स्थानीयता प्रमाणित होती हो, संलग्न करना होगा अन्यथा स्थानीय खिलाडी की दर से भुगता किया जावेगा।	अनुदान 12,500/— प्रति खेल तक व्यय किया जाना है।
• **मैदान व्यवस्था**	अनुदान का 15 प्रतिशत अधिकतम प्रति खेल
• **प्रबंध व्यवस्था** उद्घाटन, समापन, रैफरीज की फीस, कन्ज्यूमेबल्स, खेल उपकरण, मेडल, सर्टिफिकेट, फोटोग्राफी और विडियोग्राफी	अनुदान का शेष भाग प्रति खेल

विशेष ध्यान देने योग्य है कि यदि कोई जिला राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग नहीं लेता है तो उसका जिला स्तर का दिया गया अग्रिम अनुदान समायोजित नहीं किया जायेगा।

<u>प्राईज मनी :—</u>

अधोलिखित दर से प्राईज मनी की धनराशि व्यक्तिगत खिलाड़ी एवं टीम खिलाड़ियों को उनके संबंधित बैंक खाते में सीधे हस्तान्तरित की जायेगी। इसके लिए आवश्यक प्रपत्र/औपचारिकता जिला खेल अधिकारियों को सूचित किया जा रहा है।

अतः ध्यान योग्य है कि जिला खेल अधिकारियों को प्रति खेल दिये जा रहे 20,000 रूपये के अनुदान में प्राईज मनी की राशि सम्मिलित नहीं है इसलिए प्राईज मनी पर कोई व्यय नहीं किया जावे। खिलाडियों को प्रतियोगिता स्थल पर मेडल, शील्ड व प्रमाण पत्र ही दिये जाने है जिसके लिए ऊपर उल्लेख किया जा चुका है।

Level of Competition	Amount of Prize Money (in Rs.)			
	1st Position holder	2nd position holder	3rd position holder	Total
District level	350/-	250/-	150/-	750/-
State level	500/-	300/-	200/-	1000/-
National level	2500/-	1500/-	1000/-	5000/-

ऑवर ऑल जनरल चैम्पियनशिप का निर्धारण तथा ईनामी राशि को निम्नलिखित अंको के अनुसार निर्धारित किया जावेगा :–

व्यक्तिगत स्पर्धा		टीम स्पर्धा	
स्थान	अंक	स्थान	अंक
प्रथम	05	प्रथम	05
द्वितीय	03	द्वितीय	03
तृतीय	02	तृतीय	02
चतुर्थ	01	चतुर्थ	01

व्यक्तिगत स्पर्धा में भी इन अंको के अनुसार ऑवल ऑल Ist, IInd, IIIrd का निर्णय कर इसे अन्य खेलों के साथ कुल अंकों में जोड़ा जायेगा।

जिला एवं राज्य स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में अनुदान की अनुज्ञेयता आयोजित किये जाने वाले प्रति खेल के आधार पर निर्भर होगी। शेष राशि क्रीड़ा परिषद को वापिस करनी होगी।

अतः अपेक्षित है कि प्रतियोगिता का आयोजन सामान्य वित्तीय नियम के मितव्ययता के सिद्धान्त के आधार पर किया जावेगा।

योजना के दिशा निर्देशानुसार खेलों की प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए अतिरिक्त राशि स्वीकृत नही होगी। अतः प्रतियोगिता आयोजन की कार्य प्रणाली में समुचित मित्तव्ययता बरतनी चाहिए। जिला स्तर की प्रतियोगताओं के लिए अग्रिम राशि शीघ्र ही पृथकशः स्थानांन्तरित की जा रही है।

- **प्रतियोगिता का प्रतिवेदन, परिणाम, उदीयमान खिलाडियों की सूची, प्रत्येक खिलाड़ियों का पात्रता फार्म, विडियो सी.डी. तथा लेखो की प्रस्तुति :–**

प्रतियोगिता का संक्षिप्त में प्रतिवेदन, महिला प्रतियोगिताओं का परिणाम तथा जिला स्तर प्रतियोगिता के लेखों की जानकारी संलग्न फोरमेट में निम्नानुसार भरकर भिजवायें।

S.N.	Document	Annexure No.
1	Utilization Certificate (UC)	IX
2	Consolidated statement of expenditure	IX-A
3	Report on District level competitions	IX-C
4	Report on State level competitions	IX-D

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा भेजी गयी निर्देशिका अनुसार कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित किया जावें।

सचिव
राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्
जयपुर